



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-05052026-272264
CG-RJ-E-05052026-272264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2118]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948

No. 2118]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 5 मई, 2026

का.आ. 2205(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 2008 अधिनियम की धारा 2 के खंड(7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (4), में उल्लेखित जिलो के सम्बन्ध में हरियाणा राज्य में विशेष रेल परियोजना,के सन्दर्भ में एनडब्ल्यूआर के रेवाडी-अलवर-बांदीकुई-जयपुर-अजमेर-फालना-पालनपुर,अजमेर-चित्तोड़गढ़-उदयपुर और रेवाडी-रींगस-फुलेरा खंडो के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम को 1X25 केवी से 2X25 केवी ट्रेक्शन सिस्टम का उन्नयन कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

क्रम स	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
01	जिला राजस्व अधिकारी	रेवाडी	रेवाडी

[फ़ा. सं. उपरे/मुख्यालय/एस एण्ड सी/443599200 भाग-25]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 5th May, 2026

S.O. 2205(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorized the officers nominated in column (2) of the Table below as “**Competent Authority**” to perform the function as such authority under the said act, with effect date of publication of this notification in the official Gazetted in respect of the special Railway project of **upgradation work of Electric traction System from 1X25 KV to 2X25 KV traction system for Rewari-Alwar-Bandikui-Jaipur-Falna-Palanpur,Ajmer-Chittorgarh-Udaipur& Rewari-Ringas-Phulera section of NWR** as a special Rail project of acquisition of land in the state of Haryana relating to sub-Divisions mentioned in column (3) District mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

S.N.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
01	District Revenue Officer	Rewari	Rewari

[F. No. NWR/HQ/S&C/ 443599200 Vol- XXV]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const.)